

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध प्रार्थना पत्र संख्या 112/2018

इन

एकलपीठ फौजदारी रिट याचिका संख्या 438/2017

नवीन सक्सेना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य



आदेश दिनांक :

23.02.2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री आवित्य जैन, अधिवक्ता— याचीगण की ओर से।

श्री जीतेन्द्र श्रीमाली, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।

सुना गया।

विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र श्रीमाली प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर आवेदन का जबाव पेश करने के लिए अवसर चाहते हैं। अतः अवसर दिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनानुसार प्रकरण एक सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)  
न्यायाधिपति